संख्या-3416/14-2-2014-800 (124) /2014

प्रेषक,

डा0हृषिकेश भास्कर यशोद,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक अक्टूबर , 2014

विषय- आगरा-शमशाबाद-राजाखेड़ा मार्ग (एम0डी0आर0-113) किमी0 7.650 से 20.525 तक एवं किमी0 24 से 30.250 तक 4 लेन चौड़ीकरण हेतु 4.78 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 697 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 579/11सी'आगरा, दिनांक 10-10-2014 तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण् एवं वन मंत्रालय, लखनऊ के सैद्वांतिक स्वीक़ृति संख्या-8बी/यू0पी0/ 06/ 132/ 2013/एफसी/1257,दिनांक 01-11-2013 व विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/ 06/132/2013/एफसी/962, दिनांक 05-9-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- प्रस्तावक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण् एवं वन मंत्रालय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति की शर्त संख्या-4 के सम्बंध में प्रयोक्ता एजेंसी से प्रभावित वृक्षों के दस गुने पौधों के वृक्षारोपण की धनराशि प्रभागीय निदेशक, आगरा के पत्र दिनांक 09-10-2014 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ0प्र0 लखनऊ में जमा कर दी गयी है।

3- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल आगरा-शमशाबाद-राजाखेड़ा मार्ग (एम0डी0आर0-113) किमी0 7.650 से 20.525 तक एवं किमी0 24 से 30.250 तक 4 लेन चौड़ीकरण हेतु 4.78 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 697 वृक्षों के पातन की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो /प्रतिबंधों को सम्मिलित करते हुए प्रदान करते हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि
भा0स0 पर अर्थात 9.56 हे0 पर क्षतिपूरक बृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा ।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो 2-3 पंक्ति में
भा0स0 वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पातित किये जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों अर्थात
भा0स0 6970 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(5) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(6) भा0स0 परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(7) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(8) भा0स0 प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त रिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(10) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(11) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित वन क्षेत्र का बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा, जिसका अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी सूचना भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को भी दी जायेगी।

(12) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(13) भा0स0 निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

(14) भा0स0 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(15) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(16) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(17) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(18) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(19) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार कहोगा।

(20) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग एवं ट्रान्सपोर्ट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(22) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(23) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(24) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(25) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

संख्या-3416(1) /14-2-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।

(2)- प्रमुख सचिव, आई0टी0इलेक्टानिक्स, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।

(3)- प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।

(4)- जिलाधिकारी, आगरा।

(5) वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

(6)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,आगरा ।

(7)- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण् खण्ड-1 (ताज ट्रिपोजियम) ,लोक निर्माण विभाग, आगरा।

(8)- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण् खण्ड-2,लोक निर्माण विभाग, आगरा।

(9)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0ए0शुक्ला)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra